न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर

पीठासीन अधिकारी – महावीर सिंह (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र – 1/2022

अमर सिंह रावत पुत्र स्व0 श्री समदा सिंह जाति रावत आयु करीबन 64 वर्ष निवासी वार्ड संख्या 3 ग्राम हाथीखेडा फाईसागर रोड अजमेर जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय अजमेर जिला अजमेर
2. पन्ना सिंह पुत्र स्व0 श्री समदा सिंह जाति रावत आयु करीबन .. वर्ष निवासी वार्ड संख्या 3 ग्राम हाथीखेडा फाईसागर रोड अजमेर जिला अजमेर ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व्यवहार प्रकिया संहिता

आदेश **दिनांक 07.07.2022**

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित जिन्हें प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व्यवहार प्रकिया सहिता पर सुना पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी के वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये स्वीकार किया कि प्रार्थी की शामिलाती खातेदारी की कब्जे काश्त की आराजी जो कि ग्राम हाथीखेडा तहसील व जिला अजमेर में स्थित है जिसके वर्किंग जमाबंदी में खसरा नम्बर 557 रकबा 08 बिस्वा के खसरा नम्बर 559 रकबा 08 बिस्वा है तथा हाल खसरा नम्बर 377 मिन रकबा 0.02 हैक्टर व खसरा नम्बर 377 मिन रकबा 0.02 हैक्टर मिलान क्षैत्रफल अनुसार अंकित है। उक्त आराजी प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 15.1.1994 के द्वारा आराजी के खातेदार श्री अर्जुन सिह पुत्र श्री कालू से अन्य आराजियात के साथ क्रय

की थी तथा क्रय की दिनांक से प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 वादग्रस्त आराजी पर खातेदार काश्तकार शामिलाती रूप से काश्त करते चले आ रहे है। भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा गलत मिलान क्षैत्रफल बनाये जाने से हाल जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 में साबिक खसरा नम्बर 557 व 559 का रकबा केवल 0.02 हैक्टर अंकित किया गया है जबकि पुराने खसरा नम्बर से बनास गए नये खसरा नम्बर का रकबा अधिक है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि भू प्रबन्ध विभाग एवं कर्मचारियो को केवल प्रविष्ठियों एवं रकबे की रिपीट करने का अधिकार होता है उसमें बदलाव केवल मात्र सक्षम न्यायालय या राज्य सरकार के आदेश से ही अथवा मूल खातेदार की मृत्यु होने अथवा बैचान करने पर ही संभव है परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में बगैर किसी अधिकारिता के द्वारा भू–प्रबन्ध अधिकारियों से अपने इच्छा अनुसार उक्त दोनो खसरा नम्बर के रकबे में कमी कर दी जिसका करने का कोई अधिकार नही था। प्रार्थी द्वारा कई बार भू–प्रबन्ध अधिकारियों एवं हलका पटवारी के समक्ष उपस्थित होकर नई जमाबंदी में जो रकबे की कमी की गयी है उस बाबत उस रकबे को सही किए जाने का निवेदन किया परन्तु उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की गई। प्रार्थी अपने अधिवक्ता के जरिये दिनांक 26.10.2020 को धारा 80 के अन्तर्गत एक नोटिस अप्रार्थी संख्या 1 को प्रेषित करवाया जो कि उनको प्राप्त हो गया परन्तु उसके पश्चात भी ना ही उनके द्वारा कोई संशोधन की कार्यवाही अमल में लाई गयी एव ना ही उनके द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 26.10. 2020 का कोई जवाब दिया गया । प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है क्योकि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है तथा प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के साथ मिलकर उक्त भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गयी थी तथा क्रय की दिनांक से प्रार्थी वादग्रस्त भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाकर ताफैसला मूल वाद अप्रार्थी संख्या 1 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबद किया जावे कि वह प्रार्थी के शांति पूर्ण कब्जे में किसी प्रकार की दखलअंन्दाजी एवं मदाखलत नही करे तथा प्रार्थी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल नही करे तथा मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाए रखे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से जवाब बन्द किया गया ।

राजकीय पेरोकार सरकार ने जवाब न देकर सीधे ही बहस कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में किये गये उल्लेख अनुसार वर्किंग खसरा नम्बर 557 व 559 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 377 मिन व 377 मिन का रकबा 5-5 बिस्वा बढवाना चाहा जो उचित नही है क्योंकि उक्त वर्किंग खसरा नम्बरान 557 व 559 के चौसाला खसरा नम्बर 395 रकबा 3 बिस्वा व 397 रकबा 3 बिस्वा चौसाला जमाबंदी सम्वत 2023 से 26 के खाता 39 के अनुसार दर्ज है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज फरमावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेज का सादर अवलोकन किया हमने पाया कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से वर्किंग खसरा नम्बर 557 व 559 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 377 मिन व 377 मिन का रकबा 5-5 बिस्वा बढवाना चाहा जो उचित नही है क्योंकि उक्त वर्किंग खसरा नम्बरान 557 व 559 के चौसाला खसरा नम्बर 395 रकबा 3 बिस्वा व 397 रकबा 3 बिस्वा चौसाला जमाबंदी सम्वत 2023 से 26 के खाता 39 के अनुसार दर्ज है । इस प्रकार से प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र हाजा न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत नही किया गया है, इस कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होता है। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो वादीं/प्रार्थी के बजाय प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को असुविधा होगी, व सुविधा का सन्तुलन व अपूणीय क्षति भी वादी/प्रार्थी के पक्ष में नही है। उपरोक्त बिन्दुओ में से एक भी बिन्दु वादी/प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होने पर भी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नही की जा सकती है।

परिणामतः उपरोक्त विवेचन विशलेषण वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 07.7.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

महावीर सिंह
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी